आर.बी. टेली नं. 7/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/टेली/6(3)/5 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक:15.05.2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,

2015 का दूरसंचार परिपत्र सं. 7

विषय : वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए आरसीआईएल को देय अनुपातिक फाइबर अनुरक्षण प्रभार।

रेलवे द्वारा रेलटेल को देय अनुपातिक फाइबर अनुरक्षण प्रभार के संबंध में प्रति किलोमीटर, प्रति माह, प्रति जोड़ा फाइबर वर्ष 2013-14 के लिए रू 115.15 (मात्र एक सौ पन्द्रह रूपये और पन्द्रह पैसे)+सेवा प्रभर और वर्ष 2014-15 के लिए रू 124.43 (मात्र एक सौ चौबीस रूपये और तैंतालीस पैसे)+सेवा प्राभर, की दर से भुगतान करने के लिए एतद्वारा, रेल मंत्रालय का अनुमोदन संसुचित किया जाता है। इस संबंध में, दूरसंचार परिपत्र सं. 13/2012 और 01/2014 में यथा उल्लिखित अनुरक्षण प्रभार के भुगतान संबंधित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(हरीश पवारिया)
निदेशक/दूरसंचार
e-mail dtele@rb.railnet.gov.in
फोन नं. 011-23388504, 030-44613
फैक्स: 011-23304690, 030-44690

सं. 2011/टेली/6(3)/5 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक:15.05.2015

प्रतिलिपि :

(i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें
(ii) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/निर्माण, सभी भारतीय रेल
(iii) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे) नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियां)

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

(i) वित्त (व्यय)II और बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड
(ii) मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भरतीय रेलें
(iii) प्रबंध निदेशक/आरसीआईएल, गुडगांव को दिनांक 17.12.2014 के पत्र सं. आरसीआईएल/2007/ओ एण्ड एम/ओ एण्ड एम चार्जिस/637 के संबंध में

स्वीकृति देते समय बोर्ड (सदस्य बिजली) ने कहा कि "पिछले 9 वर्षों में एएमसी की लागत में औसतन 9.4 प्रतिशत की दर से वृध्दि हुई है। रेलटेल अपनी गणना में रेलवे द्वारा अपनाए गए आनुपतिक अनुरक्षण प्रभारों की बजाय कुशलता के उसी कारक को शामिल करनेका प्रयास करे"। आरसीआईएल को तदनुसार कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

निदेशक/दूरसंचार
रेलवे बोर्ड